




| | | |
|---|---|---|
|  <p>मंत्रालयीन सेवा जनहिताय सर्वदा जनहिताय सर्वदा” दूरध्वनी क्र ०२२-२२७९३०५१</p> |  <p>महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२.</p> |  <p>स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव Email ID : napu22.mhpds@gov.in</p> |
|---|---|---|

क्रमांक : क्र. अधापु -२०२३/ प्र.क्र. १५/ना.पु.-२२
प्रति

दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२३.

१. जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे)
२. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई.
३. जिल्हा पुरवठा अधिकारी (सर्व जिल्हे),
४. अन्नधान्य वितरण अधिकारी (पुणे, नागपूर, सोलापूर),

विषय :- राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांसाठी माहे जानेवारी, २०२४ पासून डिसेंबर, २०२४ करिता वितरीत करावयाच्या अन्नधान्याचे **मासिक नियतन.**

- संदर्भ :-**
- १) केंद्र शासनाचे क्र. १-८/२०१३-BP-III, दि. ०१.०६.२०२३ चे पत्र.
 - २) केंद्र शासनाचे क्र. १-८/२०१३-बीपी-III, दि. १०.१२.२०१४, दि. १३.०५.२०२२ व दि. २३.०२.२०२३ चे पत्र.
 - ३) शासन पत्र क्रमांक:- अधापु-२०१७/प्र.क्र.८२/नापु-२२, दि. २७.६.२०१७.
 - ४) शासन निर्णय क्रमांक:- असुका-२०२१/प्र.क्र.६६/नापु-२२, दि. १८.२.२०२२.
 - ५) शासन निर्णय क्रमांक:- असुका-२०२३/प्र.क्र.८०/नापु-२८, दि. ०४.०९.२०२२.
 - ६) शासन पत्र समक्रमांक: दि. ०३.०३.२०२३.
 - ७) शासन पत्र क्रमांक:- अधापु-२०२२/प्र.क्र.०८/नापु-२२, दि. २७.४.२०२३, दि. ०५.०६.२०२३ व दि. २८.०६.२०२३.

केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.०१.०६.२०२३ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत मंजूर केलेल्या नियतनाच्या मर्यादेत राज्यातील जिल्हयांना अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांकरिता माहे जानेवारी, २०२४ पासून डिसेंबर, २०२४ याद्वारे नियतन मंजूर करण्यात येत आहे. जिल्हानिहाय मासिक नियतनाचा तपशिल सोबतच्या **विवरणपत्र “अ” व “ब”** मध्ये दर्शविण्यात आला आहे.

२. संदर्भाधीन दि. ०४.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या जिल्हानिहाय इष्टांकात सुधारणा करण्यात आली आहे. सदर लाभार्थीसंख्या विचारात घेऊन सदर नियतन देण्यात आले आहे. केंद्र शासनाकडून उपरोक्त पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या नियतनातील अन्नधान्याच्या (गहू व तांदूळ) मर्यादेत जिल्हानिहाय नियतन देणे अपरिहार्य असल्याने त्याप्रमाणे जिल्हानिहाय अन्नधान्याचे (गहू व तांदूळ) परिमाण निश्चित करण्यात आले आहे. सबब गहू व तांदळाच्या परिमाणात बदल करण्याची कोणतीही विनंती विचारात घेतली जाणार नाही.

३. माहे जानेवारी, २०२४ ते डिसेंबर, २०२४ च्या नियतनाकरिता भारतीय अन्न महामंडळाकडून अन्नधान्याची उचल करण्याची मुदत लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील मुदतीप्रमाणे म्हणजेच नियतन महिन्याच्या आधीच्या महिन्यातील शेवटच्या दिनांकापर्यंत राहिल. **विहित कालावधीत अन्नधान्याची उचल करून ते लाभार्थ्यांना त्या-त्या महिन्यात मोफत वितरीत करावे.**

४. **सद्यस्थितीत e PoS द्वारे अन्नधान्याचे वितरण होत असल्याने मागील महिन्यात झालेल्या वितरणानंतर पुढील महिन्याकरिता वाटपासाठी आवश्यक असलेल्या अन्नधान्याचा आढावा घेण्यात यावा. त्यानुसार पुढील महिन्यासाठी अन्नधान्याची उचल करताना गोदामामध्ये अतिरिक्त साठा जमा होणार नाही, यादृष्टीने गोदामातील मागील महिन्यापर्यंतच्या अन्नधान्याची शिल्लक विचारात घेऊन याद्वारे दिलेल्या नियतनापैकी आवश्यक तेवढ्याच अन्नधान्याची उचल करावी.**

ज्या जिल्हांना आवश्यक तांदळाची उचल भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांऐवजी CMR मधून उचल करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, त्या जिल्हांनी त्याबाबत भारतीय अन्न महामंडळास अवगत करून CMR उचल करण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी.

५. शासनाचे सदर नियतन मंजूरीचे आदेश उपायुक्त (पुरवठा) व इतर सर्व संबंधितांना ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आले आहेत. तरी, नियतन मंजूरीचे आदेश प्राप्त न झाल्यामुळे धान्याची विहित मुदतीत उचल करता आली नाही व त्यामुळे नियतन व्यपगत झाले, ही सबब विचारात घेतली जाणार नाही व याबाबत संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.

६. भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातून गहू व तांदूळ स्विकारताना शासनाच्या निर्देशानुसार नमुने घेऊन संयुक्तपणे धान्याचा दर्जा तपासून तो समाधानकारक असल्याची खात्री करूनच धान्याची उचल करण्यात यावी. यासंबंधी शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच सदर संयुक्त तपासणीच्या वेळी उपस्थित असलेल्या भारतीय अन्न महामंडळाच्या व शासनाच्या प्रतिनिधींची नावे, त्यांचे पद व तपासणीचा दिनांक व स्थळ याबाबतची जिल्हानिहाय माहिती अन्नधान्याची उचल पूर्ण झाल्यानंतर तत्काळ शासनास सादर करावी. सदर माहिती पुढील महिन्याच्या शासनाच्या नियतन आदेशापूर्वी प्राप्त न झाल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी.


७. सदर अन्नधान्य राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ मधील कार्यपद्धती प्रमाणे वितरीत करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. शिधापत्रिकाधारकास रास्तभाव धान्य दुकानांच्या माध्यमातून सदर धान्याचे वाटप विहित परिमाणात होत असल्याची खातरजमा करण्याबाबत संबंधितांना सूचना द्याव्यात. अन्नधान्याचे योग्य वाटप होत नसल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.

८. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नियंत्रण आदेश, २०१५ मधील तरतूदीनुसार "उपयोगिता प्रमाणपत्र" नियमितपणे सादर करणे अनिवार्य आहे.

९. सोबतच्या विवरणपत्रांतील नियतनाच्या तक्त्यांमध्ये दर्शविलेल्या परिमाणानुसारच लाभार्थ्यांना धान्याचे वितरण करणे अनिवार्य आहे.

१०. माहे जानेवारी, २०२४ पासून डिसेंबर, २०२४ या कालावधीकरीता अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांकरीता नियतनानुसार गहू व तांदुळाचा साठा मुक्त करण्याच्या सूचना भारतीय अन्न महामंडळास स्वतंत्रपणे देण्यात आल्या आहेत.

११. मंजूर नियतनानुसार अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांकरीता गहू व तांदुळाची उचल करून वाटप करावे व केलेल्या उचल व वाटपाची माहिती न चुकता "महाफूड" आज्ञावलीत दर आठवड्यास वेळीच भरावी. नियतन, उचल व वाटप यासंबंधीची माहिती वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्याबाबत शासन स्तरावरून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच भारतीय अन्न महामंडळाकडून केलेल्या उचलीबाबतची व रास्तभाव दुकानदारांनी केलेल्या उचलीबाबतची माहिती दररोज Google drive वर भरावी. याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी उपसंचालक, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई यांची राहिल.



(महेश जाधव)

कक्ष अधिकारी

सोबत:- विवरणपत्र "अ" व "ब"


प्रत:- १) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा)

त्यांना सूचित करण्यात येते की, नियतनाचे आदेश सर्व जिल्हयांना ई-मेल व पत्राद्वारे पाठविण्यात आले आहेत. आपल्या विभागातील जिल्हयांना सदर आदेश प्राप्त झाले किंवा कसे याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. आपल्या विभागातील सर्व जिल्हयांमध्ये नियतनानुसार धान्याची उचल होत असल्याची व त्याबाबतची माहिती "महाफूड" आज्ञावलीत दर आठवड्यास भरली जाण्याची योग्य ती दखल घ्यावी.

२) उपसंचालक, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई, यांनी प्रस्तुत नियतनानुसार जिल्हयांनी केलेली उचल व वाटप याबाबतचा तपशील "महाफूड" आज्ञावलीद्वारेच प्राप्त करून घ्यावा. तसेच सातत्याने पाठपुरावा करून Google drive वर उचल व वाटपाबाबतची माहिती

संकलित करण्याची सर्व जबाबदारी उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांची राहिल.

3) अवर सचिव, संगणक कक्ष, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, यांनी प्रस्तुत नियतनाची प्रत विभागाच्या वेबसाईटवर अपलोड करावी.



(महेश जाधव)
कक्ष अधिकारी


सोबत:- विवरणपत्र "अ" व "ब"

प्रत :- १) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई.

२) कक्ष अधिकारी, नापु-२८, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई.

३) कक्ष अधिकारी, नापु-२९, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई.

४) निवड नस्ती कार्यासन), नापु-२२)


(नाम) (पद)
विभाग

| शासन पत्र क्र. अधापु-2023/प्र. क्र. 15/नापु-22, दि. 23.11.2023 सोबतचे विवरणपत्र "अ" | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-------------------------------|--------|---|--------|----------------------|
| केंद्र शासनाने बदललेल्या परिमाणानुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत "अंत्योदय अन्न योजने" तील लाभार्थ्यांसाठी माहे जानेवारी, 2024 ते डिसेंबर, 2024 या कालावधीकरिता मासिक नियतन | | | | | | | |
| अ.क्र. | जिल्हा | कार्ड संख्या | मासिक नियतनाचे सुधारित परिमाण | | सुधारित मासिक नियतन (मे.टन) (पूर्णाकात) | | |
| | | | गहू | तांदूळ | गहू | तांदूळ | मासिक एकूण अन्नधान्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | A Region | 727 | 15 | 20 | 11 | 15 | 26 |
| | D Region | 176 | 15 | 20 | 3 | 4 | 7 |
| | E Region | 2034 | 15 | 20 | 31 | 41 | 72 |
| | F Region | 11197 | 15 | 20 | 168 | 224 | 392 |
| | G Region | 1540 | 15 | 20 | 23 | 31 | 54 |
| 2 | ठाणे | 49541 | 10 | 25 | 495 | 1238 | 1733 |
| 3 | पालघर | 98685 | 10 | 25 | 987 | 2467 | 3454 |
| 4 | रायगड | 84043 | 10 | 25 | 840 | 2101 | 2941 |
| 5 | रत्नागिरी | 39255 | 10 | 25 | 393 | 981 | 1374 |
| 6 | सिंधुदुर्ग | 21764 | 11 | 24 | 239 | 522 | 761 |
| 7 | नाशिक | 178760 | 15 | 20 | 2681 | 3575 | 6256 |
| 8 | धुळे | 76882 | 15 | 20 | 1153 | 1538 | 2691 |
| 9 | जळगांव | 137211 | 15 | 20 | 2058 | 2744 | 4802 |
| 10 | नंदूरबार | 107306 | 10 | 25 | 1073 | 2683 | 3756 |
| 11 | अहमदनगर | 89185 | 15 | 20 | 1338 | 1784 | 3122 |
| 12 | पुणे ग्रामीण | 49494 | 15 | 20 | 742 | 990 | 1732 |
| 13 | पुणे शहर | 7508 | 10 | 25 | 75 | 188 | 263 |
| 14 | सोलापूर ग्रामीण | 52263 | 15 | 20 | 784 | 1045 | 1829 |
| 15 | सोलापूर शहर | 6201 | 10 | 25 | 62 | 155 | 217 |
| 16 | कोल्हापूर | 52905 | 15 | 20 | 794 | 1058 | 1852 |
| 17 | सांगली | 31577 | 15 | 20 | 474 | 631 | 1105 |
| 18 | सातारा | 27438 | 15 | 20 | 412 | 549 | 961 |
| 19 | छ.संभाजीनगर | 67328 | 15 | 20 | 1010 | 1346 | 2356 |
| 20 | जालना | 44215 | 15 | 20 | 663 | 884 | 1547 |
| 21 | नांदेड | 80016 | 10 | 25 | 800 | 2000 | 2800 |
| 22 | बीड | 39397 | 15 | 20 | 591 | 788 | 1379 |
| 23 | धाराशिव | 39228 | 15 | 20 | 588 | 784 | 1372 |
| 24 | परभणी | 44725 | 16 | 19 | 716 | 850 | 1566 |
| 25 | लातूर | 43019 | 16 | 19 | 688 | 817 | 1505 |
| 26 | हिंगोली | 30218 | 15 | 20 | 453 | 604 | 1057 |
| 27 | अमरावती | 127959 | 15 | 20 | 1919 | 2559 | 4478 |
| 28 | वाशिम | 50032 | 10 | 25 | 500 | 1251 | 1751 |
| 29 | अकोला | 45578 | 10 | 25 | 456 | 1139 | 1595 |
| 30 | बुलढाणा | 64275 | 10 | 25 | 643 | 1607 | 2250 |
| 31 | यवतमाळ | 133210 | 15 | 20 | 1998 | 2664 | 4662 |
| 32 | नागपूर ग्रामीण | 80518 | 10 | 25 | 805 | 2013 | 2818 |
| 33 | नागपूर शहर | 46266 | 10 | 25 | 463 | 1157 | 1620 |
| 34 | वर्धा | 49962 | 10 | 25 | 500 | 1249 | 1749 |
| 35 | भंडारा | 66745 | 10 | 25 | 667 | 1669 | 2336 |
| 36 | गोंदिया | 81954 | 10 | 25 | 820 | 2049 | 2869 |
| 37 | चंद्रपूर | 142471 | 10 | 25 | 1425 | 3562 | 4987 |
| 38 | गडचिरोली | 102492 | 10 | 25 | 1025 | 2562 | 3587 |
| राज्याची एकूण | | 2505300 | | | 31566 | 56118 | 87684 |

21/11/24

शासन पत्र क्र. अधापु-2023/प्र. क्र. 15/नापु-22, दि. 23.11.2023 सोबतचे विवरण पत्र "ब"

केंद्र शासनाने बदललेल्या परिमाणानुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत "प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यां" साठी माहे जानेवारी, 2024 ते डिसेंबर, 2024 या कालावधीकरिता सुधारित मासिक नियतन

| अ.क्र | जिल्हा | लाभार्थी सदस्यसंख्या | मासिक नियतनाचे परिमाण | | मासिक नियतन (मे.टन) (पूर्णाकात) | | |
|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------|
| | | | गहू | तांदूळ | गहू | तांदूळ | एकूण मासिक अन्नधान्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | A Region | 670395 | 2 | 3 | 1341 | 2011 | 3352 |
| | D Region | 888770 | 2 | 3 | 1778 | 2666 | 4444 |
| | E Region | 1910153 | 2 | 3 | 3821 | 5730 | 9551 |
| | F Region | 2593949 | 2 | 3 | 5188 | 7781 | 12969 |
| | G Region | 1062870 | 2 | 3 | 2126 | 3188 | 5314 |
| 2 | ठाणे | 518592 | 1 | 4 | 519 | 2074 | 2593 |
| 3 | पालघर | 1536300 | 2 | 3 | 3073 | 4608 | 7681 |
| 4 | रायगड | 1574662 | 1 | 4 | 1575 | 6298 | 7873 |
| 5 | रत्नागिरी | 1042042 | 1 | 4 | 1043 | 4168 | 5211 |
| 6 | सिंधुदुर्ग | 594102 | 1 | 4 | 595 | 2376 | 2971 |
| 7 | नाशिक | 3040525 | 2 | 3 | 6082 | 9121 | 15203 |
| 8 | धुळे | 1186704 | 2 | 3 | 2374 | 3560 | 5934 |
| 9 | जळगांव | 2286160 | 2 | 3 | 4573 | 6858 | 11431 |
| 10 | नंदूरबार | 773523 | 2 | 3 | 1548 | 2320 | 3868 |
| 11 | अहमदनगर | 2673806 | 2 | 3 | 5348 | 8021 | 13369 |
| 12 | पुणे ग्रामीण | 2468903 | 2 | 3 | 4938 | 7406 | 12344 |
| 13 | पुणे शहर | 1309881 | 2 | 3 | 2620 | 3929 | 6549 |
| 14 | सोलापूर ग्रामीण | 1613472 | 2 | 3 | 3227 | 4840 | 8067 |
| 15 | सोलापूर शहर | 515049 | 2 | 3 | 1031 | 1545 | 2576 |
| 16 | कोल्हापूर | 2321692 | 2 | 3 | 4644 | 6964 | 11608 |
| 17 | सांगली | 1778789 | 2 | 3 | 3558 | 5336 | 8894 |
| 18 | सातारा | 1683280 | 2 | 3 | 3367 | 5049 | 8416 |
| 19 | छ.संभाजीनगर | 2073901 | 2 | 3 | 4148 | 6221 | 10369 |
| 20 | जालना | 1384749 | 2 | 3 | 2770 | 4154 | 6924 |
| 21 | नांदेड | 2050024 | 2 | 3 | 4101 | 6149 | 10250 |
| 22 | बीड | 1575083 | 2 | 3 | 3151 | 4725 | 7876 |
| 23 | धाराशिव | 1015978 | 2 | 3 | 2032 | 3047 | 5079 |
| 24 | परभणी | 1091933 | 2 | 3 | 2184 | 3275 | 5459 |
| 25 | लातूर | 1653611 | 2 | 3 | 3308 | 4960 | 8268 |
| 26 | हिंगोली | 727512 | 2 | 3 | 1456 | 2182 | 3638 |
| 27 | अमरावती | 1497220 | 1 | 4 | 1498 | 5988 | 7486 |
| 28 | वाशिम | 815988 | 1 | 4 | 817 | 3263 | 4080 |
| 29 | अकोला | 1123666 | 1 | 4 | 1124 | 4494 | 5618 |
| 30 | बुलढाणा | 1590435 | 2 | 3 | 3181 | 4771 | 7952 |
| 31 | यवतमाळ | 1522124 | 2 | 3 | 3045 | 4566 | 7611 |
| 32 | नागपूर ग्रामीण | 1470593 | 1 | 4 | 1471 | 5882 | 7353 |
| 33 | नागपूर शहर | 1475888 | 1 | 4 | 1476 | 5903 | 7379 |
| 34 | वर्धा | 979782 | 1 | 4 | 980 | 3919 | 4899 |
| 35 | भंडारा | 774236 | 1 | 4 | 775 | 3096 | 3871 |
| 36 | गोंदिया | 738027 | 2 | 3 | 1477 | 2213 | 3690 |
| 37 | चंद्रपूर | 1137066 | 2 | 3 | 2275 | 3411 | 5686 |
| 38 | गडचिरोली | 474593 | 2 | 3 | 950 | 1423 | 2373 |
| राज्याची एकूण | | 59216031 | | | 106588 | 189491 | 296079 |

2/2/24



Government of Maharashtra

Food, Civil Supplies & Consumer Protection Department,
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,,
Mantralay Annex, Mumbai-400 032

Telephone: 022-22793051

Email ID : napu22.mhpds@gov.in

No.- ADHAPU-2023/C.R. 15/CS-22

Date :- 23 November , 2023

To,
The General Manager (Mah),
Food Corporation of India (Regional Office-Maharashtra),
FSD Complex,
Dattapada Road, Rajendra Nagar,
Borivali (E), Mumbai- 400 066.

Sub :- Monthly Allocation of Foodgrains for Priority Households & AAY Category under NFSA, 2013 for the month of January, 2024 to December, 2024 .

Ref :- 1) Govt. of India letter No. 1-8/2013.BP.III, Dtd. 28.02.2023, 01.06.2023 & 13.05.2022.
2) Govt. of India letter No. 1-8/2013.BP.III, Dtd. 10.12.2014
3) State Govt. Letter of even no. Dtd. 23 November, 2023.

Sir,

Government of India vide its above referred letter dated 01.06.2023 has sanctioned revised monthly allocation for Priority households & AAY category under NFSA, 2013 for the period from January, 2024 to December, 2024. Accordingly, the State Government has issued district wise allocation orders for the the period from January, 2024 to December, 2024 vide above referred letter dated 23 November , 2023 (copy enclosed).

You are therefore requested to release the allocated quota for Priority households & AAY category to the nominees of District Collector's and Controller of Rationing, Director, Civil Supplies, Mumbai as per the statement attached under intimation to this Government.

Yours faithfully,

(Mahesh Jadhav)

Section Officer, Government of Maharashtra

Copy to: 1) Financial Advisor & Deputy Secretary, F.C.S & C.P. Dept, Mumbai.
2) Select file, Desk CS-22.